अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 141/2013

अपीलार्थी – माला देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय सुपौल जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1698/ दिनांक 23.11.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में स्थानांतरित होकर दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में मामला यह है कि दिनांक 26.04.2013 को 11:10 बजे दिन में श्रीमती कुमारी कोमा महिला पर्यवेक्षिका छातापुर द्वारा केन्द्र सं0– 202 का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय सेविका 40 बच्चों के साथ केन्द्र पर उपस्थित थी किन्तु सहायिका माला देवी केन्द्र से अनुपस्थित थी सहायिका के बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के संबंध में कार्यालय पत्रांक 1090/प्रो0 दिनांक 23.07.2013 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। निर्धारित तिथि 31.07.2013 को सहायिका श्रमती माला देवी अपने स्पष्टीकरण के साथ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय सुपौल में उपस्थित हुई, अपने स्पष्टीकरण में सहायिका ने बताया कि उक्त निरीक्षण तिथि को अचानक अत्यधिक बुखार हो जाने के कारण केन्द्र पर नहीं जा सकी सहायिका का यह भी कहना है कि मैं अपने उक्त तिथि का छुट्टी का आवेदन स्थानीय मुखिया ग्राम+पंचायत राज्य राजेश्वरी पूर्वी छातापुर सुपौल को देकर अपने ईलाज कराने हेतु गई

थी किन्तु इसकी सूचना सी0डी0पी0ओ0 छातापुर एवं महिला पर्यवेक्षिका को अत्यधिक बुखार होने के कारण नहीं दे पाई, सहायिका द्वारा अपना स्पष्टीकरण एवं जबाब सुनने के पश्चात् भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण से असहमति व्यक्त करते हुए सहायिका श्रीमती माला देवी को ज्ञापांक 1698/प्रो0 दिनांक 23.11.2013 के आदेश के तहत् चयन मुक्ति आदेश निर्गत कर दिए। इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में की गई जिसमें अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता ने भाग लिया एवं अपना कागजात, सबूत प्रस्तुत किए इस संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि यह बात सत्य है कि दिनांक 26.04.2013 प्रश्नगत केन्द्र का निरीक्षण महिला पर्यवेक्षिका छातापुर द्वारा किया गया निरीक्षण के समय सेविका उपस्थित थी एवं लाभुक बच्चें भी केन्द्र पर 40 उपस्थित थे किन्तु सहायिका अचानक बीमार हो जाने के कारण केन्द्र पर नहीं थी किन्तु सहायिका ने अपनी बीमार होने के सूचना विधिवत जानकारी मुखिया राजेश्वरी पूर्वी छातापुर को समर्पित किया था और उनके आवेदन को मुखिया ने स्वीकृत भी किया था जिसे अवलोकन भी कराया गया। दुसरी बात अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कहा सहायिका हमेशा से जब से सहायिका के पद पर योगदान किए है अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलता पूर्वक किए है। इनके विरूद्ध कोई शिकायत निरीक्षण पंजी में दर्ज नहीं है उन्होंने यह भी बताया कि अपीलार्थी सहायिका मात्र एक दिन के लिए अनुपस्थित थी वह भी बीमार होने के कारण, अनुपस्थित के बारे में इसकी जानकारी स्थानीय मुखिया को देते हुए छुट्टी स्वीकृति कराकर केन्द्र पर नहीं गई थी बीमार होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र रहने के बावेजूद भी उसे अनदेखी कर चयन को रद्द करना न्यायोचित नहीं था चिक्त्सिा प्रमाण पत्र भी अवलोकन कराया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी ध्यान आकृष्ट कराया कि सेविका/सहायिका के विभागीय चयन मार्ग दर्शिका 2006 की कंडिका 9 में यह भी अंकित है कि आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका द्वारा अपने कर्त्तव्यों के संतोषप्रद निर्वहन नहीं करने, 15 दिनों से अधिक दिनों तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, एवं उनके द्वारा अनियमितता बरतने पर उसे चयन मुक्त करने की अनुशंशा की जाएगी किन्तु यहाँ तो सहायिका ने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है तो चयन मुक्त करने की कार्रवाई पूर्णतः गलत है। इसके साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के पारित आदेश में यह भी अंकित है कि सेविका/सहायिका द्वारा इस प्रकार के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराकर केन्द्र से अनुपस्थित रहने के आरोप में उन्हें

किया जा सकता है इसके साथ ही C.W.J.C.No- 317/2014 में यह भी अंकित है कि कोई भी सेविका /सहायिका एक दिन अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहती है तो उसे चयन मुक्त कर देना काफी दुखद पहलु है ऐसा नहीं किया जाना चाहिए One days absence of an employee from her duty without leave is not such a grave charge that it may entail disengagement from her service. There fore punishment awarded to the petitioner is apparently too harse and shocking उपरोक्त सारे विवेचनाओं पक्ष, विपक्ष का बयान सुनने के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल का आदेश नैसर्गिक न्याय Natural Justice कर उल्लघंन है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि किसी भी दिन कभी भी किसी व्यक्ति का अचानक तबीयत खराब हो सकता है और अगर जब तबीयत अचानक अत्यधिक खराब हो जाएगा तो वह काम सही ढ़ंग से नहीं कर पाएगा तो वह उस दिन का आकस्मिक अवकाश लेगा ही बशर्त्ते की उसके साथ तबीयत खराब होने का एक स्पष्ट प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ तो सहायिका श्रीमती माला देवी बीमार हुई छुट्टी का आवेदन भी दी, स्थानीय मुखिया से आवेदन स्वीकृत भी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र भी संलग्न है तो चयन मुक्ति आदेश देना उचित प्रतित नहीं होता है। माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना द्वारा एक दिन की अनुपस्थिति पर इस प्रकार के कड़े दंड (चयन मुक्ति का) देने का अनुचित बताया गया है। अतः यह न्यायालय सहायिका माला देवी को चयन आदेश निर्गत होने की तिथि से चेतावनी सहित सहायिका के पद पर कार्य करने का एक मौका प्रदान करती है, एवं उनसे अपेक्षा करती है, कि पुनः नए जोश के साथ, मुस्तैदी से, अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

27.2.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

27.2.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा